



Neutral Citation No.- 2026:AHC:6127

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 23543 वर्ष 2018

जोखन राम

याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	डॉ विष्णु पांडे
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, विवेक कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता डॉ. विष्णु पांडे और राज्य की विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुश्री अर्चना त्यागी की दलीलें सुनीं।
2. दोनों पक्षों के बीच प्रतिवाद और पत्युत्तर शपथपत्र का आदान-प्रदान हो चुका है। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से यह बयान दिया है कि वे आगे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं। इसलिए, याचिका पर प्रारंभिक चरण में ही निर्णय लिया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह दैनिक वेतन भोगी माली (माली) के रूप में काम करता है। सहायक अभियंता-द्वितीय, मिर्जापुर नहर प्रखंड, रॉबर्ट्सगंज ने एक प्रमाण पत्र जारी किया है जिसमें याचिकाकर्ता के 01.08.1985 से 30.09.1986 तक, 300/- रुपये प्रति माह के पारिश्रमिक पर काम करने का विवरण है।
4. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 3, कार्यकारी अभियंता, देवकली पंप नहर खंड-II, गाजीपुर के समक्ष 1988 से 1992 की अवधि के लिए अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के माध्यम से भी सहायता ली। यद्यपि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकारियों के विरुद्ध दो बार दंडात्मक आदेश पारित किए गए, फिर भी अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। परिणामस्वरूप,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता को दिनांक 12.09.2016 के सरकारी आदेश के अनुसार नियमित नहीं किया जा रहा है।

5. याचिकाकर्ता प्रतिवादियों की उक्त निष्क्रियता से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष रिट-ए संख्या 56804 वर्ष 2017 दायर की, जिसका निपटारा 05.12.2017 को किया गया, जिसमें प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने के लिए कहा गया था। हालांकि, 19.02.2018 को कार्यकारी अभियंता, देवकाली पंप नहर खंड-II, गाजीपुर ने याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के कार्यालय में काम किया था।

6. इसी को चुनौती देते हुए, दिनांक 19.12.2018 के आदेश को रद्द करने और दिनांक 12.09.2016 और 24.02.2016 के सरकारी आदेशों के अनुसार नियमितीकरण की मांग करते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है। इस याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता ने एसएलपी (सिविल) संख्या 31274 वर्ष 2025 दायर की, जिसका निपटारा दिनांक 10.11.2025 को किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को शीघ्र सुनवाई के लिए संबंधित उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता दी गई।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि याचिकाकर्ता 1992 से प्रतिवादियों के कार्यालय में कार्यरत था। उन्होंने मिर्जापुर के सहायक अभियंता-द्वितीय द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर भरोसा जताया है, जिसमें 01.07.1984 से 31.07.1985 तक उनके कार्य को स्वीकार किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उन्हें नियमितीकरण का हकदार बनाने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं, लेकिन आरटीआई के तहत दो बार जुर्माना लगाए जाने के बावजूद, अभिलेखों से पता चलता है कि प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।

8. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के रोजगार को सत्यापित करने के लिए कोई सेवा अभिलेख उपलब्ध नहीं है। उनका कहना है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और प्रमाण पत्र निरर्थक हैं क्योंकि वे फर्जी हैं और केवल न्यायालय को गुमराह करने के लिए तैयार किए गए थे।

9. मैंने न्यायालय में दिए गए सभी तर्क सुने हैं और अभिलेख का अवलोकन किया है। स्पष्ट रूप से, विवाद का मुख्य बिंदु यह है कि क्या याचिकाकर्ता ने वास्तव में विभाग के लिए काम किया था और क्या प्रतिवादियों द्वारा कार्य प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार करना कानूनी है या नहीं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. इस न्यायालय की राय में, एक बार जब प्रतिवादियों ने इस तथ्य पर विवाद किया कि याचिकाकर्ता ने विभाग में काम किया था और उन्होंने 1985-1986 की अवधि के लिए जारी प्रमाण पत्र पर भी विवाद किया, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह न्यायालय साक्ष्य लेकर कोई ठोस निष्कर्ष दर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए तथ्यात्मक मुद्दों की आवश्यकता होती है और यह न्यायालय विवादित तथ्यात्मक मुद्दों की व्यापक और सतही जांच नहीं कर सकता।

11. रवि वर्मा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य सिविल अपील संख्या 2795-2796 वर्ष 2018 दिनांक 13.03.2018 को निर्णीत और रमन कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2023 सुप्रीम कोर्ट (एससी) 1801 दिनांक 03.07.2023 को निर्णीत के मामलों में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करने के संबंध में, ये लागू नहीं होते हैं, विशेषकर तब जब याचिकाकर्ता के काम से संबंधित गंभीर तथ्यात्मक विवाद हो। इसके अलावा, यह आरोप कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को पहले ही लाभ दिए जा चुके हैं, इस स्तर पर विश्वसनीय नहीं है। याचिकाकर्ता को यह साबित करना होगा कि उसका मामला नियमितीकरण नीति के दायरे में आता है।

12. तदनुसार, हस्तक्षेप से इनकार किया जाता है। रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है, और याचिकाकर्ता को इस संबंध में सक्षम न्यायालय से घोषणा प्राप्त करने का विकल्प खुला रखा जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

9 जनवरी, 2026

अनुराग/-